न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 25/2025

प्रविष्टि दिनांक 23.09.2025

मूलचन्द पुत्र रतन लाल धाकड़ निवासी ग्राम ठीकरियाकलां, तहसील देवली, हाल निवासी दूनी जिला टोंक राज. .....अपीलान्ट

बनाम

1– राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठीकरियाकलां, जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठीकरियाकलां, तहसील देवली, हाल दूनी जिला टोंक राजस्थान

2–तहसीलदार देवली, हाल दूनी जिला टोंक राज.

.....रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश आवंटन दिनांक 03.12.1975, ग्राम ठीकरियाकलां, आवंटन सं. 3223/1975, आदेश तहसीलदार देवली

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री शंकरलाल मीणा, रेस्पोडेण्ट सं. 1 स्वयं।

निर्णय

दिनांक: 06/11/25

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 361/14 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 603 रकबा 1.30 हेक्टेयर वाके ठीकरियाकलां, तहसील दूनी जिला टोंक का दिनांक 03.12.1975 को राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत विपक्षीगण सं० 1 के पक्ष में कार्यालय तहसीलदार देवली द्वारा आवंटन किया गया, जिससे अपीलांट उत्पीड़ित है, इस कारण अपीलांट की ओर से आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की गई। रेस्पोडेण्ट सं. 1 स्वयं उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार कर मूल अपील में उभयपक्ष को सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आवंटन आदेश विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ तहसीलदार देवली द्वारा मौके की एंव वास्तविकता की जाँच नहीं की है और विधि विरूद्ध तरीके से उक्त भूमि का आवंटन किया है।

विद्यालय समिति ठीकरियाकलां हेतु खसरा नम्बर 29 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा को आवंटन किये जाने हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई और आवंटन स्कूल की आय हेतु आमदनी हेतु खेती कृषि बाबत आवेदन का निवेदन किया गया और बिना किसी रिपोर्ट एवं आवेदन के खसरा नम्बर 361/14 में रकबा 5 बीघा आवंटन आदेश जारी कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है और तथ्यों के प्रतिकूल है, इस कारण से उक्त आवंटन आदेश निरस्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

उक्त भूमि के आवंटन हेतु न तो आवेदन किया गया है है और न ही कोई पटवारी हल्का ने इस सम्बन्ध में तहसीलदार देवली के समक्ष कोई रिपोर्ट पेश की है। आवेदनकर्ता द्वारा खसरा नम्बर 361/14 में भूमि आवंटित करने की कोई मांग भी नहीं की है, ना ही इस सम्बन्ध में कोई मौका ही देखा गया, ना ही उक्त भूमि को आवंटित करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट की है और आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन नियमों एवं प्रावधानों का उल्लघंन कर बिना मौका देखे, बिना नोटिस के किया गया है ना तो कब्जा ना ही सुपुर्दगीनामा दिया गया है, इस कारण से उक्त आवंटन आदेश निरस्तनीय है।

उक्त आवंटन दिनांक 03.12.1975 को किया गया था, तब से लेकर आज दिवस तक आवंटी/रेस्पोडेण्ट सं01 ने आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है, ना ही उक्त भूमि काश्त की है और ना ही उसके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की है। खसरा नम्बर 361/14 मौके पर ही विद्यमान नही है, नक्शा ट्रेस में कही अंकित ही नही है, वहाँ पर खसरा नम्बर 361/10/2 में विद्यमान है, जिस पर कभी सुपुर्दगीनामा कब्जा भी नही दिया गया। स्कूल न तो कृषक है, ना ही किसी सरकारी उपक्रम हेतु केवल आय कृषि हेतु आंवटन का नियम नही है। सन् 1985 में सेटलमेन्ट हुआ, खसरा नम्बर 361 के हाल खसरा नम्बर 611 रकबा 1.33 है० बने, जिसे गैर खातेदारी मे दर्ज नहीं कर खसरा नम्बर 611 को सिवायचक कर दिया, जो खाता सं० –222 में कटिंगकर भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चे मे सिवायचक अंकित है तथा खसरा नम्बर 603 रकबा 1.30 है0 व 2.44 मे से जो सिवायचक थी, उसे काटकर रा. प्रा. वि. के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी, खाता सं0–09 है और सुन्दरा के नाम दुरस्ती कर दी। खसरा नम्बर 603 अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है, खसरा नम्बर 611 आंवटित भूमि है, जो खसरा नम्बर 611 को उठाकर 603 मे डाल दिया, जो भिन्न–भिन्न स्थान, काफी दूरी पर है। जिसके नीचे चार बडे–बडे खेत है, खसरा नम्बर 603 मे न तो आवंटन है न मिलान क्षेत्रफल का नम्बर बिना किसी आदेश बिना किसी कारण के पूर्व के नम्बर को काटकर 611 को सिवायचक खसरा नम्बर 603 को विपक्षी विद्यालय की गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी। जबकि कभी विद्यालय का तो कब्जा था, न कोई सम्बन्ध है, कभी गये ही नहीं, विद्यालय के किसी काम की नहीं है। अलोटमेन्ट वाली भूमि को सिवायचक खसरा नम्बर 611 खाता सं0–212 जिसे काटकर बिना किसी आदेश के खसरा नम्बर 603 में कर दी, रकबा 2.44 है० में 1.30 है० कर दी, सिवायचक को काटकर गैर खातेदारी कर दी, जो कि पूर्व के नक्शा ट्रेस हाल नक्शा ट्रेस से क्लीयर है। मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबन्दी पर्चा प्रथम, पर्चा द्वितीय के इन्दाज एवं अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है।

तहसीलदार द्वारा आवंटन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है। तहसीलदार आंवटन आदेश जारी करने का अधिकार नही रखता है। आवंटन क्षेत्राधिकार के बाहर होने से निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 603 रकबा 2.44 है० पर पूर्व के अपीलांट के पूर्वज का कब्जा था, फिर अपीलांट को 5 बीघा आवंटित खसरा नम्बर 603/1805 रकबा 1.14 है0 आवंटित सन् 2007 में कही भी खसरा नम्बर 603 सम्पूर्ण रकबे पर लगभग 50 वर्ष से काबिज है, जो काश्त लगातार रिकॉर्ड मे दर्ज है।

मूल आवंटन की भूमि को ही बदल दिया है, बिना किसी आवेदन जमीन बिना किसी आवंटन आदेश के, जमीन गांव विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर जंगल मे है, विद्यालय का दूर दूर से कोई सम्बन्ध नही है। विद्यालय खेल मैदान, कृषक, बिल्डिग है। 0.70 है, गैर मुमकिन स्कूल, खसरा नम्बर 1851/1509 आबादी के मध्य में आंवटित कर दी। जहाँ विद्यालय भवन एवं विद्यालय मैदान है, जो संचालित है। स्कूल खेल मैदान हेतु सन् 2002 रा. उ. मा. वि. ठीकरिया के नाम खसरा नम्बर 1888/921 रकबा 0.90 है० गैर मुमकिन स्कूल के रूप में

अधिवक्ता

स्कूल खेल मैदान है, भवन के नजदीक आवंटित है दर्ज है, खेल मैदान संचालित है। सेटलमेन्ट द्वारा बिना किसी समक्ष आदेश के एवं बिना किसी के आवंटन के आवंटन भूमि के खसरा नम्बर ही बदल दिये गए एवं आवंटित भूमि का स्थान भी बदल दिया गया एवं मिसफ्राड तरीके से राजस्व रिकॉर्ड मे कटिंग की गई, सिवायचक भूमि को काटकर गैर खातेदारी एवं गैरखातेदारी भूमि को सिवायचक का अंकन कर दिया गया तथा अपीलांट को क्षति पहुंचाने के आशय से राजनैतिक प्रभाव से पटवार हल्का द्वारा भूमि खसरा नम्बर स्थान किसी को नाजायज फायदा देने के आशय से राजस्व रिकॉर्ड मे बदल दिया गया, जो मिसफ्राड की श्रेणी में आता है।

राजकीय विद्यालय को स्कूल बिल्डिंग हेतु रकबा 0.70 है, भूमि आंवटित खसरा नम्बर 1851/1509 आबादी के मध्य की गई, जहाँ विद्यालय भवन वर्तमान मे संचालित है तथा वही पर विद्यालय मैदान भूमि हेतु 2002 मे खसरा नम्बर 1888/921 में 0.90 है० भूमि गैर मुमकिन स्कूल एवं मैदान हेतु आवंटित की गई, जहाँ विद्यालय खेल मैदान उपयोग उपभोग मे अर्थात विद्यालय मैदान उपलब्ध है, संचालित हो चुका है। उक्त भूमि जो आंवटित कर परिवर्तित की गई है, आबादी विद्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल मे है तो विद्यालय का कोई सम्बन्ध नही रहा न कभी कब्जे में है, न सुपुर्दगीनामा दिया ओर ना ही उनके द्वारा काश्त की गई। जबकि आवंटन नियम 1970 की शर्त की पालना दो वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए पालना नही हुई, आवंटन शर्तो का पूर्ण उल्लघन है, आवंटन निरस्तनीय है।

प्रारूप 3 नियम 8 धारा 101 भू. राज. अधिनियम 1956 तथा आवंटन नियम 1970 के तहत आंवटन किया गया है, जो कि समक्ष आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी है, जो धारा 101 भू. राज. अधिनियम के तहत प्रारूप 3 नियम 8 मे स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है, तहसीलदार को कोई उक्त नियम के तहत आवंटन की शक्ति ही प्राप्त नही है तथा उपखण्ड अधिकारी भी सलाहकार समिति की सिफारिश पर ही आवंटन कर सकता है अर्थात आवंटन ही कानून की प्रकिया का उल्लघन करते हुये किया गया है तथा नियमों के विपरीत है, जो काननून खारिज किये जाने योग्य है।

आवंटन की जानकारी अपीलांट को कभी हुई नहीं है. न ही ज्ञात था उक्त आवंटन का आवंटित भूमि पर अपीलांट एवं उसके पूर्वजों के समय से 50 वर्ष से काबिज काश्त करते आ रहे है, आज से 2 माह पूर्व विद्यालय के कर्मचारी/सरपंच द्वारा राजनैतिक दबाव डालते हुए यह बताया गया कि उक्त भूमि मे 5 बीघा भूमि विद्यालय के नाम से है, इसमें काश्त का हिस्सा हमे भी दो तो नही तो तुम्हे बेदखल करेगें, इस पर जानकारी की राजस्व रिकॉर्ड देखा तो ज्ञात हुआ तो अधिवक्ता से राय लेकर अपील पेश की, ऐसे विधि विरूद्ध आवंटन एवं मिसफ्राड आवंटन को निरस्त हेतु कोई मियाद नही है, फिर भी जानकारी होते ही शीघ्र मियाद के भीतर उक्त अपील/आवेदन पेश किया जा रहा है, डिले को कण्डोन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 पेश किया जा रहा है।

विद्यालय अथवा सरकारी संस्था को कृषि लाभांश आय हेतु भू. राज. अधिनियम 1956 के तहत कोई प्रावधान ही निहित नही है। विद्यालय को भवन खेल मैदान बिल्डिंग आदि के लिए तो आवंटित किया जान सम्भव है, लेकिन आय हेतु कृषि भूमि आवंटित नही की जा सकती है। आवंटन नियम 1970 भू. राज. अधिनियम 1956 की धारा 101 में कही भी ऐसा प्रावधान ही निहित नही है, चूंकि विद्यालय किसी का निजी नही है और न ही कोई व्यक्तिगत लाभांश ले सकता है, न ही इसका कोई हिसाब है, आज तक कभी विद्यालय के पास कोई भूमि काश्त की आय सम्बन्धित कोई हिसाब है, चूंकि उन्हे जानकारी ही नही थी, मात्र अब अपीलांट को परेशान करने के उद्देश्य से उन्हें धमकी दी जा रही है, ऐसा आवंटन ही विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली जिला टोंक द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे ।

रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि उक्त आवंटन सही एवं तथ्यों के अनुकूल है। उक्त आवंटन विद्यालय को आमदनी एवं खेल मैदान के उद्देश्य से किया गया है जो कि सही है। उक्त आवंटित भूमि पर अपीलांट व अन्य लोगों ने अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर रखा है जिसे हटवाने एवं विद्यालय को कब्जा दिलाए जाने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र विभिन्न शिविरों में कई अधिकारियों को दिए जा चुके है परन्तु उक्त अतिक्रमण अभी तक नहीं हटवाया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि उक्त आवंटन सही होने से अपील खारिज फरमायी जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 361/14 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 603 रकबा 1.30 हेक्टेयर वाके ठीकरियाकलां, तहसील दूनी जिला टोंक का दिनांक 03.12.1975 को राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत विपक्षीगण सं० 1 के पक्ष में तहसीलदार देवली द्वारा आवंटन किया गया था जिसे निरस्त कराने हेतु यह अपील पेश की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि अपीलांट मूलचन्द पुत्र रतन लाल धाकड़ निवासी ग्राम ठीकरियाकलां, तहसील देवली, हाल निवासी दूनी जिला टोंक है, को आवेदन पेश करने का Locus Standi नहीं है। न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत करने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि वह एक पीड़ित व्यक्ति है और मामले में उसका सीधा हित है, तभी उसे मुकदमा दायर करने या अदालत में पेश होने का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। "Locus Standi" का सिद्धांत यह है कि कानूनी कार्यवाही शुरू करने या उसमें भाग लेने के लिए एक व्यक्ति या संस्था का उस मामले में "सीधा हित" या "क्षति" होनी चाहिए।

इस प्रकरण में अपीलांट मूलचन्द पुत्र रतन लाल धाकड़ का आवंटित भूमि से कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट ने उक्त विवादित भूमि पर पिछले 50 वर्षों से अपना कब्जा होना बताया है परन्तु अपीलांट ने अपने कब्जा सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात पेश नहीं किए है। इस प्रकार अपीलांट का किसी भी रूप में भी हित प्रभावित होना प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट इस बात को सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि उक्त आवंटन से अपीलांट पीड़ित है। एक व्यक्ति जिसका किसी संपत्ति में कोई प्रत्यक्ष कानूनी या वित्तीय हित नहीं है, उसके पास उस संपत्ति से संबंधित राजस्व संबंधी मामले को चुनौती देने का अधिकार नहीं हो सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांट उक्त अपील पेश करने का locus standi नहीं रखता है। अपील पोषणीय नहीं है। फलतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 06/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अति. जिला कलेक्टर,
टोंक